न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 150 / 2005

निर्णय दिनांकः– 31.3.2016

उनवान

1. कजोड पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2. बद्री पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रामनिवास पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
4. मोत्या पुत्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
5. फुला पुत्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6. बाबू पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
7. रामबिलास पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
8. मुरारी पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
9. गलोल पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
10. देव पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
11. लक्ष्मा पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
12. रामरतनी बेवा अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टांक

– वादीगण

बनाम

1. हेमराज पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रामबिलास पुत्र मोती नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर नि0 फुलेता
3. राजू पुत्र मोती नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर नि0 फुलेता
4. फोरन्ता पुत्री मोती नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर नि0 फुलेता
5. कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक

6/1. मु0 मनभर बेवा उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/2. दयाराम पुत्र उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/3. घीसी पुत्री उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/4. शंकरी पुत्री उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/5. प्रधान पुत्री उद्दा नाबालिग सरपरस्ती माता मनभर बेवा उद्दा जाति गुर्जर नि0 फुलेता

7. काना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
8. लादी पुत्री छोटू नाबालिग जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
9. पांची पुत्री बालू जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
10. धोली पुत्री बालू जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
11. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन, वकील वादीगण

श्री हरिराजसिंह वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजीयात साबिका ख0न0 240, 254, 744 कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा है, जिसके हाल सेटलमेन्ट मे नये ख0न0 1770, 1777, 1778,

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 बने है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी है अर्थात कालू पुत्र रूघनाथ जाति गुर्जर निवासी फुलेता तह0 उनियारा के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। मृतक कालू पुत्र रूघनाथ के तीन लडके बालू , रामनारायण व अम्बालाल थे। तीनों का देहान्त हो गया है। प्रतिवादी न0 1ता 10 मृतक बालू के वारिसान है। वादीगण न0 1 ता 5 रामनारायण के तथा वादीगण 6 ता 10 अम्बालाल के वारिसान है। मृतक कालू ने अपने जीवनकाल मे ही उसके तीनों लडकों मे वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कर दिया था, जिसके अनुसार 1/3 हिस्सा बालू , 1/3 हिस्सा रामनारायण व 1/3 हिस्सा अम्बालाल कब्जा काश्त चले आ रहे है एवं राज्य सरकार को लगान जमा कराते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी पैतृक है। जिसमे 1/3 हिस्सा वादीगण 1 ता 5 का , 1/3 हिस्सा वादीगण 6 ता 12 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 10 का है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। आराजी ख0न0 1770, 1777, 1778, 1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक मे 1/3 हिस्सा वादीगण 1 ता 5 का , 1/3 हिस्सा वादीगण 6 ता 12 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज कालू पुत्र रूघनाथ के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी, जिसने अपने जीवनकाल मे ही अपने तीनों पुत्रों के मध्य बराबर–बराबर विभाजन कर दिया था। अम्बालाल ने काफी वर्षो पूर्व अपने हिस्से की आराजी सम्पूर्ण 4 बीघा 10 बिस्वा के लगभग पक्का जिसमे दुउणी, बान्डवलों, बाडी कजोली के नाम वाले खेतों को जो उसके हिस्से मे आया था, उन्हे 3 हजार रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से 13,500/– रूपये मे प्रतिवादी न0 6 उद्दा पुत्र बालू को विक्रय कर दी थी। जिस बाबत एक लिखावट दिनांक 30.5.88 को उद्दा के पक्ष मे निष्पादित कर संभला दी थी। जिसके आधार पर उक्त आराजीयात मे अम्बालाल का हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे लगा है। उक्त आराजीयात मे अम्बालाल अथवा उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त आराजीयात मे अम्बालाल अथवा उसके वारिसान का कोई कब्जा काश्त नही है। भूमि की कीमते बढ जाने के कारण वादीगण के दिल मे बेईमानी आ गई है । वादीगण ने क्लीन हेण्ड से वाद पेश नही किया है। वाद वादीगण चलने योग्य नही है। अतः वादीगण का उक्त वाद मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावे उपरान्त वाद मे निम्न तनकियात कायम कर विवेचित की गई।

1.आया वादीगण आराजी ख0न0 1770, 1777, 1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा मे वादीगण 1 ता 5 1/3 हिस्से, वादीगण न0 6 ता 12 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी न0 1 ता 10 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने, इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात पर से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है?

–वादीगण

2.आया वादग्रस्त आराजीयात मे से अम्बालाल ने अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादी न0 6 को विक्रय कर कब्जा दे दिया है?

–प्रतिवादीगण

3.दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2017 से 2020 प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 प्रदर्श 2 , नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3,, नकल जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2024 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

प्रदर्श 6, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2061 प्रदर्श 8, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 प्रदर्श 10, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 22026 प्रदर्श 11, नकल खसरा मोजा प्रदर्श 12, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 13, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 14, नकल जमाबन्दी सम्वत 2017 प्रदर्श 15, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2060 प्रदर्श 16, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2017 प्रदर्श 17, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2017 प्रदर्श 18, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 19 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी0डब्लू0 1 रामविलास के बयान कलमबद्व करवाये गये।

प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य न आने के कारण दिनांक 28.1.2016 को प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्र मे कायमशुदा तनकियात पर न्यायालय का विवेचन निम्नवत है:-

तनकी न0 1 मे वादीगण को यह सिद्व करना था कि आया वादीगण आराजी ख0न0 1770, 1777, 1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा मे वादीगण 1 ता 5 1/3 हिस्से, वादीगण न0 6 ता 12 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी न0 1 ता 10 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने, इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात पर से जरिये स्थायी निषेधाझा पाबन्द कराने के अधिकारी है? प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2017 से 2020 वाके ग्राम फुलेता मे साबिक आराजी ख0न0 240 , 254, 744, कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा बालू वल्द कालू कोम गूजर सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। प्रदर्श 2 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 वाके ग्राम फुलेता साबिक आराजी ख0न0 744 मे सम्वत 2014 मे रामनारायण की काश्त का अंकन है। प्रदर्श 11 खसरा मोजा ग्राम फुलेता साबिक ख0न0 744 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा मे बालू, रामनारायण वल्द कालु गुजर अंकित है। प्रदर्श 12 नकल खसरा मोजा ग्राम फुलेता साबिक आराजी ख0न0 240 रकबा 254 मे कालू वल्द रूगनाथ का नाम अंकित है। प्रदर्श 14 नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से निम्न प्रकार हाल नम्बर कायम हुये है:-

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
240 मी	6 बीघा 2 बिस्वा	1770	0.53
240 मी	6 बीघा 2 बिस्वा	1777	0.50
240 मी	–	1778	0.52
254 मी	1 बीघा 15 बिस्वा	1806	0.19
254 मी	–	1807	0.38
744 मी	6 बीघा 2 बिस्वा	1960	0.54
744 मी	–	1961	0.55
744 मी	–	1962	0.68

प्रदर्श 16 भू प्रबन्ध खतोनी सम्वत 2041 से 2060 वाके ग्राम फुलेता मे आराजी ख0न0 1770, 1777, 1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 बालू पुत्र कालू जाति गूजर सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 वाके ग्राम फुलेता मे हाल आराजी ख0न0 1770, 1777, 1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 मोती उद्वा काना छोटू पि0 बालू पांची दोली पुत्रियां बालू केली बेवा बालू कोम गूजर सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रतिववादीगण ने भी अपने जवाब दावे मे उक्त आराजीयात को पुश्तैनी माना है। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से भी वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज कालू पुत्र रूघनाथ की होना सिद्व है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे मे यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज कालू

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

पुत्र रूघनाथ के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी, जिसने अपने जीवनकाल मे ही अपने तीनों
पुत्रों के मध्य बराबर–बराबर विभाजन कर दिया था तथा अम्बालाल ने अपने हिस्से की आराजी को बालू को
बैचान कर दी थी। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के साथ इकरारनामा दिनांक 30.5.88 की छाया प्रति प्रस्तुत
की है। इकरारनामा 13500/– मे होना अंकित किया गया है, परन्तु अन रजिस्टर्ड है। प्रतिवादीगण ने अपने
जवाब दावे मे यह भी कथन किया है कि उक्त दस्तावेज के आधार पर अम्बालाल के हिस्से की जमीन बालू
के नाम लगी थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नही किया है। रूघनाथ के तीन पुत्र बालू,
रामनाायण व अम्बालाल थे। वादग्रस्त आराजी अकेले बालू के नाम गलत दर्ज हुयी है। इस प्रकार वादग्रस्त
आराजी पुश्तैनी होने से वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा, वादीगण 6 ता 12 का
1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा होना जाहिर है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के
पक्ष मे किया जाता है।

तनकी न0 2 मे प्रतिवादीगण को यह सिद्व करना था कि आया वादग्रस्त आराजीयात मे से
अम्बालाल ने अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादी न0 6 को विक्रय कर कब्जा दे दिया है । प्रतिवादीगण ने
इस तनकी को सिद्व करने के लिये किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। एक इकरारनामे की छाया
प्रति प्रस्तुत की है। जो अन रजिस्टर्ड होने से अवैध है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व
किया जाता है।

उपरोक्त तनकियात के निर्णय के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कालू वल्द
रूघनाथ की थी। जो गलत रूप से अकेले प्रतिवादीगण के पिता बालू के ही नाम दर्ज हुयी है। जबकि
रूघ्नानाथ के अन्य दो पुत्र रामनारायण व अम्बालाल भी थे, जिनका नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही हुआ है।
वादग्रस्त आराजीया पुश्तैनी होने से वादीगण वादग्रस्त आराजीयात मे अपने हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने
के वैधानिक अधिकारी है। न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। आराजी
ख0न0 1770, 1777, 1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 वाके ग्राम
फुलेता तहसील उनियारा मे वादीगण 1 ता 5 को 1/3 हिस्से, वादीगण न0 6 ता 12 को 1/3 हिस्से तथा
प्रतिवादी न0 1 ता 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा
को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन
खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.3.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे
सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. कजोड पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2.बद्री पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
3.रामनिवास पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
4.मोत्या पुत्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
5.फुला पुत्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6.बाबू पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
7.रामबिलास पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
8.मुरारी पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
9.गलोल पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
10.देव पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
11.लक्ष्मा पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
12. रामरतनी बेवा अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.हेमराज पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामबिलास पुत्र मोती नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर नि0 फुलेता
3.राजू पुत्र मोती नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर नि0 फुलेता
4.फोरन्ता पुत्री मोती नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर नि0 फुलेता
5.कस्तुरी बेवा मोती जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/1. मु0 मनभर बेवा उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/2.दयाराम पुत्र उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/3.घीसी पुत्री उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/4. शंकरी पुत्री उद्दा जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6/5.प्रधान पुत्री उद्दा नाबालिग सरपरस्ती माता मनभर बेवा उद्दा जाति गुर्जर नि0 फुलेता
7.काना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
8.लादी पुत्री छोटू नाबालिग जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
9.पांची पुत्री बालू जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
10.धोली पुत्री बालू जाति गुर्जर निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
11.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 150 वर्ष 2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पी0सी0जैन वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व श्री हरिराज सिंह वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 1770, 1777, 1778, 1806, 1807, 1960, 1961, 1962 कुल किता 8 कुल रकबा 3.89 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा मे वादीगण 1 ता 5 को 1/3 हिस्से, वादीगण न0 6 ता 12 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी न0 1 ता 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 3 सन् 2016 को जारी की गई।

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx 103

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner